Title : Need to amend forest conservation Act as per International standards.

श्री शिशुपाल एन. पाटले (भण्डारा) : उपाध्यक्ष महोदय, महाराट्र के विदर्भ में बहुत अधिक क्षेत्रफल में जंगल हैं, जोकि वन विभाग के अधीन हैं। मुख्य रूप से भण्डारा, गोंड़िया, गचरौली, चन्द्रपुर एवं नागपुर में ज्यादा तादाद में जंगल हैं। अंतर्राट्रीय मापदंड एवं राट्रीय गणना के अनुसार 33 प्रतिशत जंगल हैं।

जबकि इन जिलों में 38 प्रतिशत से ज्यादा जंगल व्याप्त है। इतना ही नहीं भारतीय संविधान के परिशिट 5 के अनुसार जो जिले बैक्वर्ड जिलों में आते हैं, उन जिलों के लिए वन संरक्षण कानून शिथिल करने का प्रावधान है।

महाराट्र के विदर्भ में बहुत अधिक मात्रा में उच्च कोटि का खनिज उपलब्ध है। जिसमें मैंगनीज, ग्रेनाइट जिसकी अंतर्राट्रीय बाजारों में अत्यधिक मांग है। वैसे ही कांच बनाने का कच्चा माल, सोना इत्यादि। इसके उपरांत विदर्भ में अभी तक वन संरक्षण कानून के रूकावट के कारण किसानों के खेती में सिंचाई की सुविधा कुल 11 प्रतिशत है। अगर विदर्भ के उपरोक्त जिलों को वन संरक्षण कानून से छूट दी जाती है, तो 59 प्रतिशत खेती में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हो सकेगी। जिसके कारण विदर्भ के किसान आर्थिक संकट से ऊपर उठेंगे, उच्च कोटि के खनिजों की भारी मात्रा में खानें शरू होंगी, जिससे विदर्भ की जनता को एवं बेरोजगार युवकों को रोजगार उपलब्ध हो सकेगा। इतना ही नहीं 89 जल विद्युत प्रकल्प वन कानून के कारण प्रलंबित हैं।

मैं सरकार को सूचित करता हूं और विनती भी करता हूं कि यहां जिलों में अंतर्राट्रीय मापदंडों के अनुसार 33 प्रतिशत से ऊपर वन है एवं भारतीय संविधान के परिशिट 5 के अनुसार उपरोक्त जिले बैक्वर्ड हैं, जो राट्रीय समविकास योजना में सम्मिलित है, इन जिलों को वन संरक्षण कानून से छूट दी जाए।